क्रम संख्या–177

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 343/XXXVI(3)/2016/73(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016)

'जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 की उपधारा (4) का अंतःस्थापन

2. जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (4) को निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गैर जमींदारी विनाश की भूमि, वन भूमि के निरसन (De-Notification) के पश्चात् गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्राप्त भूमि, अप्रयुक्त बंजर, तथा प्राकृतिक कारणों से विस्तारित पट्टे की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि एवं अन्य किसी कारणों से प्राप्त भूमि, जिस पर इस अधिनियम का प्रसार न किया गया हो, को इस अधिनियम में निहित प्राविधानों को लागू करने के लिए विस्तारित कर सकती है तथा इस अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों में जहाँ आवश्यक हो स्वतः ही लागू होंगे।"

धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) का अंतःस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ग) (एक) मूल अधिनियम की धारा 157 (क) तथा धारा 157 (ख) में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कृषि,

बागवानी, जड़ी बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों एवं सुगन्धित पुष्पों, मसालों का उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन तथा पशुधन, प्रजनन, मौन पालन, मत्स्य पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, समिति, न्यास एवं स्वयं सहायता समूह को पट्टे पर शर्तें निर्धारित करते हुए पट्टा किराया सहित अधिकतम 30 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। पट्टा किराया में नकद, उपज अथवा उपज के किसी अंश को सम्मिलित किया जा सकेगा;

(दो) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टे का नवीनीकरण पुनः शर्तों को निर्धारित करते हुए किया जायेगा। पट्टाभिलेख भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन निःशुल्क पंजीकृत किया जा सकता है। पट्टेदार को पट्टाभिलेख में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पट्टावधि समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार द्वारा पट्टावधि के दौरान भूमि पर किसी भी प्रकार का प्रभार हित देयता भू–स्वामी पर बाध्य नहीं होगी;

(तीन) पट्टागत भूमि पर सभी शुल्क एवं उपकरों का भुगतान का उत्तरदायित्व भू–स्वामी का स्वयं होगा;

(चार) पट्टेदार कृषि ऋण, आपदा सहायता एवं अन्य कोई समसामयिक सुविधा जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती हो, को प्राप्त करने का अधिकारी होगा;

(पांच) पट्टेदार को फसल बीमा, आपदा सहायता तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन धनराशि/अनुदान प्रदान की जा सकती है, जिसको प्राप्त करने का वह स्वयं अधिकारी होगा;

(छः) पट्टावधि के दौरान पट्टेदार द्वारा भूमि की सीमा, सर्वेक्षण चिन्ह तथा सीमांकन आदि को न तो हटाया जायेगा और न ही नुकसान पहुंचाया जायेगा;

(सात) पट्टेदार को पट्टाग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अनुवांशिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। पट्टेदार की पट्टावधि के दौरान मृत्यु, अक्षमता पर उसका प्रत्यक्ष (विधिक) उत्तराधिकारी भू–स्वामी के साथ कृषि एवं

अन्य सहवर्ती कियाकलापों के लिए नया अनुबन्ध करने के उपरांत अधिकृत होगा;

(आठ) पट्टे की अवधि समाप्ति पर, निर्धारित समय पर पट्टे की राशि का भुगतान न होने पर, पट्टे की शर्तों का अनुपालन न होने, पट्टे के प्रयोजन सें इतर प्रयोग करने पर पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग स्वयं न कर पट्टे का उप पट्टा करने तथा पट्टाग्रस्त भूमि को क्षति पहुंचाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टा समाप्त कर दिया जायेगा;

(नौ) सक्षम प्राधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा 04 सप्ताह के अन्दर विवाद को निर्णीत किया जायेगा तथा निर्णय के पश्चात् पट्टेदार यदि कब्जा नहीं हटाता है तो कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाते हुए भूमि पट्टादाता को वापस की जायेगी एवं निर्णय की तिथि के उपरांत प्रतिदिन रू0 300 अर्थदण्ड पट्टेदार से वसूल किया जायेगा;

(दस) पट्टागत सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अनुदान, बैंक ऋण लिये जाने पर पट्टादाता की भूमि की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की देयकों की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी;

(ग्यारह) उपरोक्त उपधारा (ग) (आठ) में वर्णित विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता/पट्टाधारक द्वारा पट्टा 03 माह पूर्व की सकारण नोटिस देकर समस्त भार सहित समाप्त किया जा सकेगा। पट्टे पर दी गयी भूमि के उपयोग के संबंध में जिलाधिकारी मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में कार्य करेंगे तथा दोनों पक्षों के पट्टा अनुबन्ध में भूमि के विंशिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने की वस्तुस्थिति की जॉच की जायेगी तथा वार्षिक आधार पर पट्टागत भूमि की संस्तुति की जायेगी। किसी भी स्थिति में भूमि का समुचित उपयोग न किये जाने पर भूमि का पट्टा समाप्त करते हुए जिलाधिकारी द्वारा भूमि भार सहित वापस करा दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा प्रयोजन की आवश्यकतानुसार अधिकतम 30 एकड़ भूमि पट्टे पर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में यदि भूमिधर के भूमि के बीच में यदि सरकारी भूमि है तो वह भूमि को जिलाधिकारी द्वारा

राज्य सरकार की अनुमति से सशुल्क पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। पट्टादाता द्वारा स्थानीय उत्पादों, सब्जियों, दालों तथा परम्परागत फसलों एवं फलोद्यान को प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्थानीय नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। पट्टे पर दी गयी भूमि के उत्पादों के आधार पर विकसित उद्योगों में विशेषज्ञ पदों को छोड़कर स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। स्थानीय उत्पादों के वितरण, विक्रय संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुश्रवण किया जायेगा;

(बारह) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भूमि पट्टादाता को बलपूर्वक वापस करायी जायेगी। उत्तराखण्ड कृषि भूमि पट्टा कई भू–स्वामियों की छोटी–छोटी जोतों को मिलाकर इस सीमा तक एकत्रित किया जा सकता है कि कृषि तथा उसके सहवर्ती क्रियाकलापों को लाभप्रद स्थिति में लाया जाये तथा रोजगार सृजन भी हो;

(तेरह) उपरोक्त प्रविधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार आदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी और पट्टे इत्यादि के संबंध में नियम भी बना सकेगी।

धारा 161 की उपधारा (ख) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ख) राज्य सरकार की अनुमति से किसी गाँव सभा या स्थानिक प्राधिकारी से, उक्त भूमि जो धारा 117 के अधीन तत्समय उसमें निहित हो, विनिमय कर सकता है;

परन्तु यह कि सहायक कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कोई विनिमय नहीं होगा और यदि विनिमय की जाने वाली भूमियों के मौरूसी दरों से लगाये गये लगानी मूल्यों में निरन्तर लगानी मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक अन्तर हो, तो सहायक कलेक्टर अनुज्ञा देने से इंकार कर देगा।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।